

भूकानून शास्त्रीय कोषालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Konstantin Khrenov, 8th Floor, Sector 41, Alimony, Luchinsky-226024, Tel Aviv 226096
E-mail: kx@kay.ru, kx@yandex.ru, kx@mail.ru, kx@netcom.com

पत्र सं० एडी/युएपी०/०६/२४/२०२१/एफएसी०/२६९

दिनांक : 24.02.2021

Figure 1

सुनात बा. ससकलविना ससकलविना कोरात अधिकारी,
 ११ सुनात बा. ससकलविना ससकलविना कोरात अधिकारी,
 सुनात बा. ससकलविना ससकलविना कोरात अधिकारी,

Online Proposal No. FP/UP/Road/40150/2019

विषय : कृषि एवं वन्यजीव संरक्षण के मधीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-३३४ए), लखनऊ-परकाजी किमी० ०.०० से किमी० १५.०८९ के बीच की दूरी ०.२१ किलोमीटर पर स्थित वनभूमि के दान संरक्षण अधिनियम, १९८० के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न वस्तुओं के ५० वर्षों के पान की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्तर्भः कृषि रान सारक(रान सारक) एव मोहल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-1773/11-सी- FP/UP/Road/40150/2019.
लखनऊ, दिनांक - 21.01.2021.

Figure 1

समस्या का आलाय ग्रहण करने का वाद करे। विषयकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति होगी है।

प्रकरण में विद्यार्थ्यान्तर्गत सूत्रों आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवाए ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. No objection certificates of concerned departments needs to be submitted.
2. Component wise breakup of land required and land schedule needs to be submitted.
3. Detailed Muck calculation and Muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
4. The proposed land to diverted area is 0.10 ha., which is lower than the actual proposed area.
5. As per georeferenced map, forest patch is missing from .kml file needs rectification, .kml file of complete route needs to be submitted.
6. The NFI suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 0.99 ha.
7. As per Google Earth imageries dated 20-04-2019, plantation activity is observed in land proposed for CA, this needs clarification and rectification.
8. The proposed CA land patch falls under Non-Forest category under FCA.

भवदीया.

(प्राची गंगतार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (संकेत द्वारा):

1. मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(लेख), वन विभाग, 17, राणा प्रसाद मार्ग, लखनऊ, 200001।
 3. ज्वालपीय निदेशक, साओआरएमना, मुजफ्फरनगर।
 4. अग्निशक्ती अभियंता, एमएफओ डिप्टी, पीओड्यूटी, गाजियाबाद।
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आपरा पत्रावली।

उप वन भवन निदेशक (क्षेत्रीय)
(प्रदेशीय मंत्रालय)
07.10.21

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 20000, लखनऊ।
पत्रांक-219-21सी-एएवी/एआर/आओ/आओ/50/20/19 दिनांक, लखनऊ, फरवरी 25, 2021

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, सहायनपुर वृत्त, सहायनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, साओआर प्रभाग, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, एमएफओ डिप्टी, पीओड्यूटी, गाजियाबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
20000, लखनऊ

011
कार्यालय वन संरक्षक सहायनपुर वृत्त, सहायनपुर
पत्रांक 389/11-10 (16.15.2019) दि. 25-2-2021
प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, साओआर प्रभाग, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अग्रप्रेषित

वन मंत्रालय/क्षेत्रीय निदेशक